

अनुवांन

01. काना पिता नन्दा जी जाति कलाल आयु 70 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़

— वादी

बनाम

01. श्री पन्ना लाल पिता कस्तुर जी जाति कलाल आयु 43 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़
02. श्री हगामी लाल पिता श्री कस्तुर जी जाति कलाल आयु 40 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़
03. श्री प्यारे लाल पिता श्री रूपा जी जाति कलाल आयु 50 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़
04. श्री इन्द्रमल पिता श्री रूपा जी जाति कलाल आयु 47 वर्ष निवासी सोपरी
05. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार सा० तहसील देवगढ़

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

—:: निर्णय ::—

पत्रावली आज दिनांक 30.12.2019 को पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी सं० 01 से 04 के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम सोपरी पटवार हल्का आजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजियात।

ग्राम - आजना

1. श्री पन्ना पिता कस्तुर 1/3 हि. हगामीलाल पिता कस्तुर 2/3 हि. कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते :-

आराजी नं०	रकबा	किस्म	लगान
264	0-17	हकत III	0-72

2. श्री प्यारे लाल, इन्द्रमल पिता रूपा 1/3 काना पिता नन्दा 1/3 पन्ना पिता कस्तुर 1/9 हगामी पिता कस्तुर 2/9 कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते :-

आराजी नं०	रकबा	किस्म	लगान
264/1	0-02	हकत III	0-06

3. श्री काना पिता नन्दा कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते :-

आराजी नं०	रकबा	किस्म	लगान
264/2	0-17	हकत III	0-72



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

4. श्री. प्यारे लाल, इन्द्रमल पिता रूपा कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते :-

आराजी नं०	रकबा	किस्म	लगान
264/3	0-17	हक्त III	0-72

वादी वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 05 गुणा राशि के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेश करने पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को प्रलि भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पञ्चवली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।


सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

डिग्री व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला-राजसमन्द
निर्णय बइजलास शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र0सं0 48/2018 रे.वाद निर्णय दिनांक :-30.12.2019

अनवान

01. काना पिता नन्दा जी जाति कलाल आयु 70 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़

—वादी

01. श्री पन्ना लाल पिता कस्तुर जी जाति कलाल आयु 43 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़

02. श्री हगामी लाल पिता श्री कस्तुर जी जाति कलाल आयु 40 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़

03. श्री प्यार लाल पिता श्री रूपा जी जाति कलाल आयु 50 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़

04. श्री इन्द्रमल पिता श्री रूपा जी जाति कलाल आयु 47 वर्ष निवासी सोपरी

05. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार सा0 तहसील देवगढ़

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली आज दिनांक 30.12.2019 को पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी सं 01 से 04 के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम सोपरी पटवार हल्का आजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजियात।

ग्राम आंजना

1. श्री पन्ना पिता कस्तुर 1/3 हि. हगामीलाल पिता कस्तुर 2/3 हि. कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते :-

आराजी नं0	रकबा	किस्म	लगान
264	0-17	हकत III	0-72

2. श्री प्यार लाल, इन्द्रमल पिता रूपा 1/3 काना पिता नन्दा 1/3 पन्ना पिता कस्तुर 1/9 हगामी पिता कस्तुर 2/9 कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते :-

आराजी नं0	रकबा	किस्म	लगान
264/1	0-02	हकत III	0-06

3. श्री काना पिता नन्दा कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते :-

आराजी नं0	रकबा	किस्म	लगान
264/2	0-17	हकत III	0-72

4. श्री प्यारे लाल, इन्द्रमल पिता रूपा कलाल निवासी सोपरी के हिस्से व खाते -

आराजी नं०	रकबा	किस्म	लगान
264/3	0-17	हकत III	0-72

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

मुद्दे	रूपया	पै०	मुदायला	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजी दावा	8	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील)पर	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमीशनर	0	00
फीस कमीशनर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुतफरिफ	00	
मुतफरिफ	13	00			
			मिजान		
मिजान	8	00		00	00

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30 मास 12 सन् 2019 की जारी की गई।


सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द